हरियाणा ई-सेवा
Haryana e-Seva

District Information Technology Society(DITS)
Hisar-125001

आऊटसोर्सिंग के तहत मेनपावर हेतु निविदा आमंत्रित

जिला सूचना–प्रोद्यौगिकी समिति, हिसार के अधीन जिला हिसार में चल रहे आईटी प्रोजेक्ट्स में मेनपावर उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक फर्म/कम्पनी/आऊटसोर्सिंग एजेंसी से निविदायें आमंत्रित हैं। इच्छुक अपनी निविदायें दिनांक 17.03.2017 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, कमरा नम्बर 305, तृतीय तल, लघु सचिवालय, हिसार में जमा करवायें। निविदायें उसी दिन सांय 4 बजे खोली जायेंगी।

अधिक जानकारी तथा नियम शर्तों हेतु http://hisar.gov.in वेबसाईट देख सकते हैं।

डीआईटीएस, हिसार

MINIMUM GOVERNMENT MAXIMUM GOVERNANCE

विषयः– डीआईटीएस, हिसार के अधीन मेनपावर उपलब्ध करवाने हेतु आऊटसोर्सिंग एजेंसियों से निविदा हेतु।

नियम एवं भार्तें :–

1- जमानत राशि के तौर पर 100000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट, "District Information Technology Society, Hisar" के नाम साथ संलग्न करना आवश्यक है। जोकि भविश्य में अनुबंधित फर्म के अलावा सभी फर्मों के बैंक ड्राफ्ट वापिस कर दिए जायेंगे तथा अनुबंधित फर्म की जमानत राशि डीआईटीएस अकाऊंट में जमा करवा दी जायेगी जो कि अनुबंध अवधि के समाप्त होते ही बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी। चैक, नगद राशि तथा एफडी मान्य नहीं होगी।

2. निविदा Technical & Financial दो अलग–अलग लिफाफों में जमा करवाई जानी आवश्यक है। सर्व प्रथम Technical बिड वाले लिफाफे को खोला जायेगा तथा सभी भार्तों इत्यादि को पूरा करने तथा निर्धारित कमेटी के अनुमोदन के बाद ही Financial bid वाले लिफाफे को खोला जायेगा। भार्तें पूरी न करने वाली फर्म की भागीदारी निरस्त मानी जायेगी।

3- सम्बन्धित कम्पनी/फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय या भाखा हिसार में होना आवश्यक है।

4- कम्पनी का स्वयं का खाता होना आवश्यक है। कम्पनी/फर्म का इन्कम टैक्स एवं सर्विस टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

5- कम्पनी/फर्म का ESI एवं EPF खाता होना आवश्यक है।

6. केवल रजिस्टर्ड फर्म जिनके पास TIN नम्बर हों तथा पिछले तीन वित्तवर्शों में फर्म का प्रति वित्तवर्ष टर्नओवर कम से कम 50 लाख रूपये या अधिक हों वही इस निविदा में हिस्सा ले सकता है। (प्रमाण संलग्न करें।)

7- फर्म/कम्पनी पिछले तीन वित्तवर्षों में से किसी भी दो वित्तवर्षों में सरकारी कार्यालय/बोर्ड/निगम में मेनपावर उपलब्ध करवाने प्रुफ (वर्क आर्डर की प्रति) तथा कार्य के सन्तोशजनक होने का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/अथवा पत्र साथ संलग्न करना आवश्यक है। (प्रमाण संलग्न करें)

8. प्रत्येक माह की 1 तारीख अथवा किसी भी परिस्थिति में 5 तारीख तक कर्मचारियों को मानदेय दिया जाना आवश्यक है। ऐसा ना होने की सूरत में कमेटी/सक्षम अधिकारी के पास अनुबन्ध निरस्त करने तथा जमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा। कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के बाद फर्म/कम्पनी को चैक से भुगतान किया जायेगा।

9. कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय उपायुक्त महोदय द्वारा निर्धारित दर अथवा जिला सूचना प्रोद्यौगिकी समिति द्वारा निर्धारित दर अनुसार दिया जाना आवश्यक है। EPF एवं ESI राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार काटा जाना आवश्यक हैं।

10. विभाग द्वारा दिए गए बिलों के अनुसार कर्मचारियों को मानदेय दिया जाना आवश्यक है। जिसमें से EPF एवं ESI की कटौती के अलावा अन्य कटौती किया जाना पाये जाने पर अनुबंध बिना किसी कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक माह सैलरी रजिस्टर, ईपीफ एवं ईएसआई कटौती का ब्यौरे की प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं ई–मेल के माध्यम से पहुंचाना आवश्यक है।

12. फर्म/कम्पनी निम्नलिखित कागजात की प्रति साथ संलग्न करें :–

1. पेन कार्ड/टेन कार्ड की प्रति।
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की रिर्टन की प्रति।
3. EPF एवं ESI सर्टीफिकेट की प्रति।
4. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति।
5. मान्य लेबर लाईसैंस की प्रति।
6. रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रति।
7. कार्यालय द्वारा सन्तोषजक कार्य का प्रमाण–पत्र।

13. निविदा में सभी रेट सभी प्रकार के कर सहित देना होगा।

14. अनुबंध की अवधी उपायुक्त–सह–प्रधान के अनुमोदन के बाद एक वर्श की होगी। एक वर्ष के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने की अवस्था में अनुबन्ध बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

15. डाटा इण्टरी ऑप्रेटर, जूनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, एमटीएस, सेवादार, सफाईकर्मी, ड्राईवर, क्लर्क एवं लेखाकार इत्यादि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की सूची साथ संलग्न करें।

16. पर्चेज कमेटी अथवा कमेटी प्रधान निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखते हैं :–

क. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये रिजेक्ट कर सकते हैं तथा सबसे कम रेट वाले के साथ अनुबंध करने हेतु भी बाध्य नहीं है।

ख. निविदा पत्र अथवा सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं।

नोट :

a. सभी नियम एवं भार्तें अतिआवश्यक है इनमें से कोई एक भी भार्त पूरी नहीं करने की अवस्था में कमेटी या कमेटी के प्रधान के पास फाईनैंशियल बिड खोलने अथवा ना खोलने का अधिकार सुरक्षित होगा

b. सभी नियम एवं भार्तें निविदा भरने के समय पूरी करना आवश्यक है, भार्तें पूरी ना करने पर उसी समय निविदा कैंसल कर दी जायेगी जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेवार होगी।

c. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, हिसार का निर्णय मान्य होगा तथापि न्यायिक क्षेत्र हिसार मुख्यालय होगा।

उपायुक्त–सह–प्रधान,
जिला सूचना प्रोद्यौगिकी समिति, हिसार